न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0न0 121/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/269) पीठासीन अधिकारीः– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. गीतादेवी पत्नी स्व0 मुरारीलाल
2. लोकेश कुमार पुत्र स्व0 मुरारीलाल
3. वंदना गोयल पत्नी लोकेश कुमार

जातियान वैश्य नि0 ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग हाल नि0 बी–2/61 सेवक पार्क उत्तम नगर नई दिल्ली

–सायलान

बनाम

1. गिरीश पुत्र स्व0 मुरारीलाल
2. पुष्पेन्द्र गोयल पुत्र स्व0 मुरारीलाल
3. तारा पुत्र भागचन्द जाति वैश्य नि0 ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग हाल नि0 मकान नम्बर 47 ग्राउण्ड फलोर गली नम्बर 06 अर्जुन नगर नई दिल्ली

जातियान वैश्य नि0 खेडा ब्राह्मण तहसील डीग हाल नि0 ए–29 सैनिक नगर उत्तम नगर नई दिल्ली

–गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 24.06.2024

सायलान द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22, 994/0.25, 997/0.48, 998/0.05, 100/0.03, 1097/0.12, 1308/0.43, 995/0.24, 996/0.17, 1391/0.14, 1135/2715/0.07, 1144/0.34, वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग में स्थित है। सायलान एवं प्रति0 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान एवं प्रति0 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसकी अभी बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के सम्मिलित कब्जे काश्त में पक्षकारान में आपस में नहीं वनती है और चाहे जब आपस में विवाद पैदा हो जाता है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22, 994/0.25, 997/0.48, 998/0.05, 100/0.03, 1097/0.12, 1308/0.43, 995/0.24, 996/0.17, 1391/0.14, 1135/2715/0.07, 1144/0.34, वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के कब्जे सायल में मजाहमत मदाखलत नहीं करने तथा विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने, रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश फरमायें।

उक्त प्रार्थना पत्र/प्रकरण में सायलान को सुनवाई उपरांत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 05.01.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रति0 संख्या 01 व 03 की ओर से दिनांक 05.01.2023 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें वर्णित किया गया है कि प्रति0 संख्या 04 लगायत 4 प्रेमलता,सुमित्रा,भगवती,कुसुम पुत्रियां भागचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा हक त्याग वादपत्र से पूर्व गैर सायलान के हक में करा दिया है। जिसका अमल दरामद जमाबन्दी हाल में

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हो चुका है। लेकिन वादीगण द्वारा वादपत्र व प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ पुरानी जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है। गैर सायलान संख्या 01 लगायत 03 ने आ0 ख0 नम्बर 1135/2715/0.07,1144/0.34 में से अपना हिस्सा दिनांक 02.01.2023 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया गया है। जिस पर कब्जा काश्त क्रेतागण का है। आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22,का हिस्सा 1/4 व खसरा नम्बरान 1135/2715/0.07, 1144/0.34 का हिस्सा 1/6 जोकि दिनांक 03.07.2004 को सायल संख्या 2 गैर सायल संख्या 1,2 व इनके पिता मुरारीलाल ने अपनी स्वअर्जित आय से बयनामा सायल संख्या 01 गीतादेवी विधवा मुरारीलाल के हक में करा दिया जिसकी समस्त प्रतिफल राशि सायल संख्या 2 व गैर सायल संख्या 1,2 व इनके पिता मुरारीलाल द्वारा ही अदा की गई। सायलान व गैर सायलान के मध्य कई बर्ष पूर्व आराजी मुत0 की बावत विभाजन हो चुका है। मुताविक विभाजन आराजी मुत0 पर पक्षकारान काबिज काश्त है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ता फैसला वाद पावंद किये जाने की कृपा करें। **गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा बहस** प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों के विपरीत होने से काविले खारिजी के है जिसे खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः–</u> सायलान एवं प्रति0 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान एवं प्रति0 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के सम्मिलित कब्जे काश्त में होने से पक्षकारान में आपस में वनती नहीं है। प्रति0 संख्या 04 लगायत 4 प्रेमलता,सुमित्रा,भगवती,कुसुम पुत्रियां भागचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा हक त्याग वादपत्र से पूर्व गैर सायलान के हक में करा दिया। आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22,का हिस्सा 1/4 व खसरा नम्बरान 1135/2715/0.07, 1144/0.34 का हिस्सा 1/6 जोकि दिनांक 03.07.2004 को सायल संख्या 2 गैर सायल संख्या 1,2 व इनके पिता मुरारीलाल ने अपनी स्वअर्जित आय से बयनामा सायल संख्या 01 गीतादेवी विधवा मुरारीलाल के हक में करा दिया जिसकी समस्त प्रतिफल राशि सायल संख्या 2 व गैर सायल संख्या 1,2 व इनके पिता मुरारीलाल द्वारा अदा की गई। सायलान व गैर सायलान के मध्य कई बर्ष पूर्व आराजी मुत0 की बावत मनबट विभाजन हो जाने की बात उभय पक्ष द्वारा कही गई है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

<u>सुविधा का संतुलनः–</u> सायलान एवं प्रति0 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान एवं प्रति0 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के सम्मिलित कब्जे काश्त में होने से पक्षकारान में आपस में वनती नहीं है। प्रति0 संख्या 04 लगायत 4 प्रेमलता, सुमित्रा, भगवती, कुसुम पुत्रियां भागचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा हक त्याग वादपत्र से पूर्व गैर सायलान

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

के हक में करा दिया। आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22,का हिस्सा 1/4 व खसरा नम्बरान 1135/2715/0.07, 1144/0.34 का हिस्सा 1/6 जोकि दिनांक 03.07.2004 को सायल संख्या 2 गैर सायल संख्या 1,2 व इनके पिता मुरारीलाल ने अपनी स्वअर्जित आय से बयनामा सायल संख्या 01 गीतादेवी विधवा मुरारीलाल के हक में करा दिया जिसकी समस्त प्रतिफल राशि सायल संख्या 2 व गैर सायल संख्या 1,2 व इनके पिता मुरारीलाल द्वारा अदा की गई। सायलान व गैर सायलान के मध्य कई बर्ष पूर्व आराजी मुत0 की बावत मनबट विभाजन हो जाने की बात उभय पक्ष द्वारा कही गई है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

अपूर्तिनीय क्षतिः– सायलान एवं प्रति0 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान एवं प्रति0 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के सम्मिलित कब्जे काश्त में होने से पक्षकारान में आपस में वनती नहीं है। प्रति0 संख्या 04 लगायत 4 प्रेमलता, सुमित्रा, भगवती, कुसुम पुत्रियां भागचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा हक त्याग वादपत्र से पूर्व गैर सायलान के हक में करा दिया। आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22,का हिस्सा 1/4 व खसरा नम्बरान 1135/2715/0.07, 1144/0.34 का हिस्सा 1/6 जोकि दिनांक 03.07.2004 को सायल संख्या 2 गैर सायल संख्या 1,2 व इनके पिता मुरारीलाल ने अपनी स्वअर्जित आय से बयनामा सायल संख्या 01 गीतादेवी विधवा मुरारीलाल के हक में करा दिया जिसकी समस्त प्रतिफल राशि सायल संख्या 2 व गैर सायल संख्या 1,2 व इनके पिता मुरारीलाल द्वारा अदा की गई। सायलान व गैर सायलान के मध्य कई बर्ष पूर्व आराजी मुत0 की बावत मनबट विभाजन हो जाने की बात उभय पक्ष द्वारा कही गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, वकील उभय पक्षकारान की बहस अनुसार प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायलान के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व कानूनी नजीरों के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, खारिज किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner